19/9/1> आज यह पत्रावली प्रार्थी स्वयं एवं वकील प्रार्थी की दावा
विड्राल वकील की पैरवी बाबत पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुई। सुनाया गया। दरखास्त की जाती है। आ. अल
दावा है। प्रार्थी/वादी काशीराम के सहमति व अपने
हाथ का लिखा लिखा सकी पहचान वकील वादी श्री अखिलेश
के की। ये सभी तथ्यों से अधिक कार्यवाही नहीं की जाती है
दोनों पक्ष वकील वादी या वादी स्वयं की शपथ के आधार
पर वादी के वाद को विड्राल वकील किया गया
है। फैसला सुनाया जाता है। वाद
तस्फीया फाइल किया जाता है। सुनाया गया।

अखिलेश

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner